



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh



फाइल संख्या: 4-1266/2013/Env/eFile

E-MAIL

दिनांक: 21.01.2025

सेवा में

The Authorized Signatory,
M/s Anant Raj Limited,
Regd office: CP-1, Sector-8, IMT, Manesar, Haryana-122051
Email id: engrowenviro@gmail.com info@anantrajlimited.com

विषय: Request for the Certified Compliance Report (CCR) for the Expansion Residential Township Colony at Village Kadarapur, Maidawas and Ullahwas, Sector-63-A, District Gurugram (Haryana).- Certification reg.

सन्दर्भ: संख्या नंबर SEIAA(127)/HR/2021/480 dated 11.05.2021.

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय और संदर्भित पत्र के साथ आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित दिनांक 16.01.2025 के पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें पर्यावरण स्वीकृति (EC) के अनुपालन के प्रमाणीकरण (Certification) का अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करें:-

1. The information in the enclosed Data-Sheet (**Annexure-1**).
2. Copies of EIA/EMP report, Form 1 of the proposed expansion/Modification and earlier EC.
3. Copy of Conceptual Plan/Expansion Summary, ToR/EDS and request of Certified Compliance report from SEIAA/MoEFCC.
4. Consent to Establish/Operate/completion certificate/occupation certificate from concern authorities.
5. Water and energy conservation plan and environmental audit report, if any.
6. Details of activities undertaken as CSR/EMP and their fund utilizing details (last 03 years).
7. Details of the court cases pertaining to the project and show cause notices/closure issued by SPCB, if any.
8. Details of existing actual water balance; no. of tube wells/ bore wells & permission from CGWA.
9. Copy of forest clearance for Access/Approach road under FC Act, if any.

आपसे अनुरोध है कि मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार प्रमाणीकरण (Certification) जारी करने के लिए वांछित जानकारी (केवल सॉफ्ट कॉपी में) इस पत्र के जारी करने के चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए जिससे कि प्रमाणीकरण का कार्य अतिशीघ्र किया जा सके।

यह भी नोट करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का विलम्ब प्रमाणीकरण की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को बाध्य करेगा।

संलग्न: उपरोक्त।

भवदीय,

अपर -निदेशक / वैज्ञानिक 'ई'

नोट: कृपया भविष्य में सभी छह मासिक अनुपालन रिपोर्टों में इस पत्र की संदर्भ संख्या दर्शाएं।